सर्व इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी–28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई–दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-बी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री अमिताभ गुप्ता	माननीय श्री जे.एस. राठौड़	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)	संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)	संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज पं0 जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499

ललित धायाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

योगेन्द्र राठौड़
मो. 9166494225

एन. के. झामड़
मो. 9414008416

कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
मो. 9314142509

हेमराज गोयल
मो. 9460926850

प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

अजय चतुर्वेदी
मो. 9413385665

दुल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक दिनांक : 19.08.2012

श्रीमान प्रणव मुखर्जी साहेब,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय :- " पदोन्नति में आरक्षण " सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक रूकवाने की प्रार्थना ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है, अविधिक है, असंवैधानिक है, सम्पन्न आरक्षित वर्ग द्वारा वास्तविक पिछड़ों के शोषण का माध्यम है, देश में नक्सलवाद के बढ़ने का कारण है, केन्द्र और राज्य प्रशासन में जातिगत वैमनस्य बढ़ाने वाला है, राजनीति और आम जनता में जातिगत ध्रुवीकरण करने वाला है, देश को जातीय संघर्ष की ओर धकेलने वाला है, आरक्षित वर्ग को देश की मुख्यधारा से दूर रखने वाला और अछूत को हमेशा अछूत बनाये रखने वाला है ।

सम्पन्न आरक्षित वर्ग जो अब पिछड़ों एवं दलितों का शोषक वर्ग बन चुका है, के दबाव में आकर पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में अब तक चार बार अवांछित संशोधन किये जा चुके हैं और अब पांचवें संशोधन की तैयारी है। इन सभी कृत्यों से भारतीय न्याय व्यवस्था कमजोर हुई है तथा भारतीय संसद और सांसदों की गरिमा गिरती जा रही है । इसी कारण आम न्यायप्रिय जनता में जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध जबरदस्त आक्रोश बढ़ता जा रहा है ।

उपरोक्त सभी तथ्यों को समाहित करते हुए हमने एक के बाद एक लगातार सात ज्ञापनों (सभी की प्रतियाँ संलग्न हैं) द्वारा लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी 789 सांसदों का पदोन्नति में आरक्षण के अन्यायपूर्ण प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को रूकवाने अथवा इसका विरोध करने का आग्रह किया है ।

हमारे शिष्ट मण्डल भी सांसदों से व्यक्तिगत मिले हैं, सभी सांसदों (यहाँ तक कि आरक्षित वर्ग के सांसदों) ने भी पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक बताया है और यह दर्द भी उजागर किया है कि वे पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं अतः कुछ भी मदद नहीं कर सकते । एक लोकतांत्रिक देश में सांसदों को आत्मा की आवाज, न्याय की मांग एवं मतदाताओं की भारी मांग के विरोध में मतदान करने का "व्हिप" के जरिये बाध्य करके संविधान संशोधन करवाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं पूरी तरह असंवैधानिक है । इस मुद्दे पर कभी भी किसी राष्ट्रीय दल ने अपने मैनीफैस्टो के जरिये मतदाताओं का निर्णय नहीं लिया है । पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा अपने मैनीफैस्टो के जरिये जनता का निर्णय मांगा गया तो अन्य सभी राजनेता एवं दल करारी हार को मजबूर हुए है ।

(लगातार——— 2)

क्रमांक (2) दिनांक :

आप भली भांति जानते है कि :-

1. हमारे मूल संविधान में पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, इसे जातिगत राजनेताओं एवं सम्पन्न आरक्षित वर्ग के दबाब में वर्ष 1995 में संविधान संशोधन द्वारा डालकर अनुच्छेद 14 के समानता के मूल अधिकार को विकृत किया गया है ।
2. पदोन्नति में आरक्षण के लिए 77वां, 81वां एवं 82वां संविधान संशोधन इन्द्रा साहनी में संविधान पीठ के निर्णय को तथा 85वां संविधान संशोधन अजीत सिंह जुनेजा के निर्णय को प्रभाव शून्य करने के लिए किये गये । किसी भी संशोधन के लिए सांसदों के और उनके मतदाताओं के विचार जानने के प्रयास ही नहीं किये गये । सभी संशोधनों से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है और संविधान की समता मूलक विचारधारा विकृत हुई है । इसी प्रकार अब अगला प्रस्तावित संविधान संशोधन एम.नागराज के प्रकरण में आये संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णय को पुनः अवांछित रूप से प्रभाव शून्य करने के लिए किया जा रहा है ।
3. हमारी संस्था द्वारा लोक सभा एवं राज्य सभा की याचिका समितियों के समक्ष याचिकाएँ(प्रतिलिपि संलग्न) प्रस्तुत करके प्रार्थना की गयी कि लोकतंत्र में बिना मतदाताओं की स्वीकृति के उनकी इच्छा के विरूद्ध संविधान संशोधन करना विश्वासघात है, संविधान संशोधन के लिए व्हिप जारी करना अविधिक एवं असंवैधानिक है तथा अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक बात करना और वास्तव में दूसरी बात करना मतदाताओं के साथ धोखा है । इसलिए इस प्रस्तावित संविधान संशोधन को रोका जावे । इन महत्वपूर्ण विधिक एवं संवैधानिक बिन्दुओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानते हुए लोकसभा याचिका समिति ने पत्र क्रमांक 13/CPB/2012 दिनांक 27.07.2012 के जरिये हमारी याचिका को कानून एवं न्याय मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिस पर अभी तक हमें निर्णय की कोई सूचना नहीं है ।

ऐसी परिस्थितियों में आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पदोन्नति में आरक्षण की अन्यायपूर्ण एवं असमतावादी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करावें और प्रस्तावित अवांछित संविधान संशोधन विधेयक को रोकें ताकि संसद एवं न्यायपालिका की गरिमा को गिरने से बचाया जा सके ।

सकारात्मक त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा में, सादर

भवदीय,

(पाराशर नारायण शर्मा)

अध्यक्ष

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

मानीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री अमिताभ गुप्ता	माननीय श्री जे.एस. राठौड़	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)	संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)	संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू 'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।' (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चावाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
प्रदेश सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एस. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दुल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. अध्यक्ष- अखिल ... राज.)
मो. 9571873486
जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (पाक्षिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 12170-12954 दिनांक : 11.08.2012

माननीय सांसद
लोक सभा / राज्यसभा,
नई दिल्ली ।

न्याय की गुहार-प्रथम

विषय :- पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्तावित संविधान संशोधन रुकवाने हेतु कार्य योजना।

मान्यवर,

विनय पूर्वक निवेदन है कि दिनांक 09 अगस्त, 2012 को समता आन्दोलन कोर कमेटी की देर रात तक चली आपात बैठक में संसद में प्रधानमंत्री द्वारा आगामी 21 अगस्त, 2012 को सर्वदलीय बैठक एवं 22 अगस्त, 2012 को पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण में संविधान संशोधन विधेयक लाने का जो आश्वासन दिया गया है उसे रुकवाने के लिए निम्न निर्णय लिये गये :-

1. लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी सांसदों को आगामी दस दिनों में लगातार एस.एम.एस., ई-मेल एवं ज्ञापनों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण प्रावधान के बारे में पूरी जानकारी देते हुये उन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया जायेगा कि जो भी सांसद पदोन्नति में आरक्षण के प्रस्तावित संविधान संशोधन में किसी भी तरह का सहयोग करेगा उसे आगामी लोक सभा चुनावों में भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा सदस्य के रूप में वापिस नहीं चुनने दिया जायेगा । इसके लिए पूरे भारत वर्ष के दो करोड़ से अधिक अनारक्षित लोक सेवकों के माध्यम से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक-एक लाख से अधिक मतदाताओं से अगले एक वर्ष में संकल्प पत्र भरवाये जाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है ।

2. दिल्ली में दिनांक 19.08.2012 को जन्तर-मन्तर पर अखिल भारतीय स्तर का विशाल धरना जिसमें सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा एवं राजस्थान की सभी 250 तहसीलों से कम से कम एक-एक बस भर कर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

(लगातार—— 2)

3. दिनांक 22 अगस्त, 2012 को राजस्थान बन्द के आह्वान का निर्णय लिया गया जिसके लिये व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों एवं राष्ट्रवादी संगठनों सहित समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया जायेगा । अन्य राज्यों में भी जो-जो व्यक्ति या संगठन सक्रिय है उनसे आग्रह करके बंद कराने का प्रयास किया जायेगा ।
4. लोक सभा एवं राज्य सभा की याचिका समितियों के समक्ष संविधान संशोधन नहीं करने से संबंधित लम्बित याचिकाओं पर तत्काल निर्णय कराने हेतु दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका लगाने का निर्णय लिया गया है । याचिकाएँ समता आन्दोलन की वेब-साइट पर न्यूज एण्ड एक्टीविटिज शीर्षक में अपलोड की हुई है और लोक सभा एवं राज्य सभा के 784 सांसदों को भेजी जा चुकी है ।
5. दिनांक 20.08.2012 को समता आन्दोलन समिति के जयपुर जिला अध्यक्ष के प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित संविधान संशोधन रूकवाने के लिये किये जा रहे प्रार्थना यज्ञ के आयोजन में समता आन्दोलन द्वारा पूरा सहयोग किया जायेगा ।
6. सेन्ट्रल मीडिया को एक्टीवेट किया जायेगा । पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को अच्छे ढंग से उठवाया जायेगा ।

उपरोक्त निर्णयों को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कार्यकर्ताओं की अलग-अलग टीमे गठित करने के लिए दिनांक 10 अगस्त 2012 को राजपूत सभा भवन में कर्मठ कार्यकर्ताओं की पुनः मीटिंग आहूत की गई ।

राजपूत सभा भवन की बैठक दिनांक 10.08.2012

राजपूत सभा भवन की बैठक में कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया । इस बैठक में उपरोक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए अलग-अलग टीमे गठित की गई, कार्य योजना तैयार की गई और कार्यकर्ताओं के सुझाव पर निम्न महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये :-

1. दिनांक 22.08.2012 को राजस्थान बंद के आह्वान के साथ सभी राजस्थान राज्य के सभी अनारक्षित वर्ग के पांच लाख राष्ट्रवादी लोक सेवक सामुहिक अवकाश पर रहेंगे ।

(लगातार—— 3)

2. दिनांक 21.08.2012 को अगले दिन की बंद की तैयारी करते समय सभी राष्ट्रवादी लोक सेवक काली पट्टी बांध कर कार्य करेंगे ।
3. सोमवार दिनांक 13 अगस्त 2012 से जयपुर के सभी बडे कार्यालयों में एवं राज्य के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर समता वादी लोक सेवकों की गेट मीटिंग्स आयोजित की जायेगी, जिसके द्वारा सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जावेगा ।

महोदय आप भली भांति जानते है कि पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक होने के साथ-साथ देश के वास्तविक पिछडों के साथ विश्वासघात है, संभ्रान्त आरक्षित वर्ग द्वारा वास्तविक पिछडों व दलितों के शोषण किये जाने का जरिया है, देश को जातिय संघर्ष की ओर धकेलने का षडयंत्र है, 600 में से 250 से अधिक जिलों में फैले हुये या फैल चुके नक्सलवाद का एक मुख्य कारण है, संविधान प्रदत समानता के मूल अधिकार का मजाक है, और भारत जैसे प्रगतिशील देश के माथे पर कलंक है ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि लोक सभा और राज्य सभा में आगामी 22 अगस्त, 2012 को प्रस्तावित पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का पूर जोर विरोध करके अपनी प्रखर राष्ट्रवादी छवि से पूरे देश को गौरवान्वित करने की कृपा करें ।

सादर अभिवादन सहित,

भवदीय

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-श्री, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन, संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अमिताभ गुप्ता, संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक) | माननीय श्री जे.एस. राठौड़, संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा, संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस.)

हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चायाल
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
परीन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
[illegible]
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामर
[illegible]
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरविन्दर सिंह
[illegible]
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
[illegible]
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस.)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
[illegible]
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
[illegible]
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
[illegible]
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक दिनांक : 12.08.2012

माननीय सांसद
लोक सभा / राज्यसभा,
नई दिल्ली ।

न्याय की गुहार – द्वितीय
(पदोन्नति में आरक्षण बन्द हो)

विषय :- "पदोन्नति में आरक्षण" – सम्पन्न आरक्षितों द्वारा वास्तविक दलितों व पिछड़ों के शोषण का माध्यम बन गया है, इसे रोकें ।

मान्यवर,

विनय पूर्वक निवेदन है कि आरक्षण के कारण सरकारी-नौकरी में आ जाने के बाद भी अनुसूचित जाति / जनजाति के लोगों को अगड़ा नहीं मान कर उन्हें पिछड़ा मानते हुये ही पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाना अत्यन्त घातक एवं वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों के साथ विश्वास घात है तथा सम्पन्न आरक्षितों द्वारा उनके शोषण का माध्यम है क्योंकि :-

1. सरकारी नौकरी पाकर सशक्त, अगड़े व सम्पन्न हो चुके आरक्षित वर्ग के लोग तथा उनके बच्चे वास्तविक पिछड़ों व दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं, सभी प्रकार के अनुदान आदि भी ऊपर के ऊपर ही हड़प जाते हैं ।
2. सम्पन्न आरक्षित वर्ग के बच्चों से वास्तविक दलित / पिछड़े वर्ग के बच्चे प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पा रहे हैं । इसी कारण 65 वर्षों के लम्बे समय के बाद भी आरक्षण का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, 5-7 प्रतिशत लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लिये जा रहे हैं ।
3. अनारक्षित वर्ग की अब तक की पीढ़ियों ने जहाँ लाखों नौकरियाँ एवं शैक्षणिक पद वास्तविक दलितों के लिए छोड़ कर उनका पोषण करके अगड़ा बनाना चाहते रहे हैं, वहीं सम्पन्न आरक्षित वर्ग के नौकरी पा चुके लोगों के बच्चे ऊपर की ऊपर इन आरक्षित पदों को हड़प कर वास्तविक पिछड़ों व दलितों के बच्चों को उनके हक से वंचित करके उनका शोषण कर रहे हैं ।

इस प्रकार से वास्तविक दलितों व पिछड़ों का शोषण करने वाले सम्पन्न आरक्षित वर्ग के दबाव में उन पर पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी पुनः संविधान संशोधन करके उन्हें पिछड़ा ही मानते रहना क्या वास्तविक पिछड़ों व दलितों के साथ विश्वासघात नहीं है ?

आप कृपया अपनी आत्मा से पूछे और अपने प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व का परिचय देते हुये पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित असमतावादी संविधान संशोधन का विरोध करके पूरे देश को गौरवान्वित करने की कृपा करें । सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में ,

सादर अभिवादन सहित,

भवदीय

(पाराशर नारायण शर्मा)

हर इन्सान-एक समान एक राष्ट्र-एक जान मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी–28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई–दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री अमिताभ गुप्ता	माननीय श्री जे.एस. राठौड़	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)	संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)	संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज पं० जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण की राह पर चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(युवा संभागाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. डामर
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142309

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(पूर्व अध्यक्ष - अखिल महाराणा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (पाक्षिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक दिनांक : 13.08.2012

माननीय सांसद
लोक सभा/राज्यसभा, न्याय की गुहार– तृतीय
नई दिल्ली । (पदोन्नति में आरक्षण बन्द हो)

विषय :– "पदोन्नति में आरक्षण" – देश में बढते हुये नक्सलवाद का एक प्रमुख कारण है, कृपया इसे रोकें ।

मान्यवर,

विनय पूर्वक निवेदन है कि आप भली भांति जानते है कि देश में आधे से अधिक जिलों में नक्सलवाद फैल चुका है । नक्सलवाद के फैलने का एक प्रमुख कारण है "पदोन्नति में आरक्षण" । यह विधिक तथ्य स्पष्टतः स्थापित है कि "पिछड़ा" प्रमाणित होने के बिना अनुच्छेद 16(4)(a)एवं 16(4)(b) का लाभ नहीं दिया जा सकता है । आप यह भी जानते है कि आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरियों में आ जाने के बाद भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को केवल जाति के आधार पर असंवैधानिक रूप से "पिछड़ा" माना जाता है । इसी कारण उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है ।

इस प्रकार से असंवैधानिक रूप से तथा समानता के सभी मानदण्डों का खुला उल्लंघन करते हुये नौकरी शुदा लोगों को पिछड़ा मानने के कारण वे वास्तविक दलितों एंव पिछड़ों तक (निचले स्तर तक) आरक्षण का व सरकारी अनुदानों का लाभ पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं । इसी कारण से सम्पन्न आरक्षित वर्गों का एक छोटा सा समूह पूरे दलित व पिछड़े समाज का लाभ लूटता जा रहा है और वास्तविक दलित, पिछड़े व आदिवासी अवसाद ग्रस्त होकर नक्सलवाद को अपनाते जा रहे हैं ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सम्पन्न आरक्षित वर्ग के दबाव में आकर लाये जा रहे पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित असमतावादी संविधान संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करें तथा अपने प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व का परिचय देते हुये पूरे देश को गौरवान्वित करने की कृपा करें । सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में,

सादर अभिवादन सहित,

भवदीय

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अमिताभ गुप्ता संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक) | माननीय श्री जे.एस. राठौड़ संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

सवर्ण प्रेरणा पुरुष पं0 जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चावाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
नवीन सम्भागीय अध्यक्ष :-
जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(पूर्व सेवानिवृत्ति)
मो.9166494225
अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिवक्ता अधिवक्ता)
मो. 9414008416
बीकानेर
कैप्टन गुरविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509
भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850
जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447
कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिवक्ता अधिवक्ता)
मो. 9413385665
उदयपुर
दुर्गा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. अध्यक्ष - अखिल महासंघ राज.)
मो. 9571675488
जे.एस. रामावत
संरक्षक : समता ज्योति (पाक्षिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट 2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 14535-15324 दिनांक : 14.08.2012

श्रीमान सांसद,
लोक सभा/राज्य सभा,
नई दिल्ली ।

न्याय की गुहार – चौथा ज्ञापन
(पदोन्नति में आरक्षण बन्द हो)

विषय :- अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का अध्यक्ष दलितों एवं पिछड़ों के शोषक वर्ग (सम्पन्न आरक्षित वर्ग) से ना हो, इनके पोषक वर्ग(अनारक्षित वर्ग) से हो।

महोदय,

विनय पूर्वक निवेदन है कि इस समय देश के वास्तविक पिछड़े व दलित अपने आरक्षित वर्ग में ही सम्पन्न हो चुके लोगों के शोषण से त्रस्त है क्योंकि ये सम्पन्न आरक्षित वर्ग जातिवादी राजनेताओं के माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाकर लगातार अविधिक एवं असंवैधानिक रूप से स्वयं को "पिछड़ा" बनाये हुये है और आरक्षण, अनुदान, विशेष आबंटन, स्कॉलरशिप आदि का लाभ 65 वर्षों से ऊपर की ऊपर ही हड़प कर वास्तविक पिछड़ों व दलितों का शोषण करते जा रहे है । ऐसे सम्पन्न आरक्षित वर्ग के लोग ही जातिगत वैमनस्य और जातिवादी राजनीति के जरिये पूरे देश में भड़काऊ कार्यवाही करके देश को जातिगत संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं । ऐसे करोड़पति शोषक वर्ग में से अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाने से कभी वास्तविक पिछड़े व दलितों का भला हो ही नही सकता । आप इन तथ्यों का सत्यापन अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी.एल.पूनिया की गतिविधियों से कर सकते हैं ।

दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग अब तक अपने करोड़ों पदों व सीटों का त्याग करके दलितों व पिछड़ों को सभी के बराबर लाने के लिए 65 वर्षों से इनके पोषक-वर्ग की भूमिका निभा रहा है,इनका दर्द समझ रहा है, इनकी भलाई में लगा हुआ है। लेकिन इनके त्याग और सहयोग का पूरा लाभ वास्तविक दलितों व पिछड़ों तक ये सम्पन्न आरक्षित/शोषक वर्ग ही नहीं पहुंचने दे रहा है । एक सुनियोजित षड्यंत्र के अधीन सम्पन्न आरक्षित वर्ग अर्थात दलितों का "शोषक वर्ग" अपनी सम्पन्नता का दुरुपयोग करके अवांछित दुष्प्रचार करके "पोषक वर्ग" को लगातार अपमानित करता रहता है और अपनी रोटियाँ सैंकता रहता है । आप जरा गौर करें :-

(लगातार——— 2)

1. ये कहते हैं – सवर्णों ने हजारों वर्षों से दलितों का शोषण किया है । आप जानते है, किसने किया ? इस देश के लगभग सभी सवर्ण तो 70–80 वर्ष पहले ही जन्मे है । आज के सवर्ण पिछले जन्म में भंगी थे या चमार – किसको पता ? आज के सवर्ण तो लगातार "पोषक वर्ग" की भूमिका निभा कर सभी पिछडों व दलितों को ऊपर उठाने के लिए जूझ रहे है, लेकिन ये सम्पन्न आरक्षित/शोषक वर्ग के लोग ऐसा नहीं होने दे रहे हैं ।

2. शोषक वर्ग के षड्यंत्रों के कारण ही आज राजस्थान के पुलिस महानिदेशक या लोक सभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती मीरा कुमार के बच्चे भी आरक्षण का लाभ लेने के हकदार हैं। ऐसे बच्चों के सामने क्या वास्तविक दलितों के बच्चे आरक्षण का लाभ ले सकते है?

जरा विचार करें । ऐसे ही सम्पन्न आरक्षित शोषक वर्ग में श्री पी.एल. पूनिया है जिनके विवादित बयानों के लिए विधिक कार्यवाही प्रकिया में है । कृपया इनके स्थान पर पोषक वर्ग के विद्वान/समाज सेवक को अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनदा कर देश के वास्तविक पिछडो व दलितों का उत्थान करने की कृपा करें ।

भवदीय,

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in   e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री अमिताभ गुप्ता	माननीय श्री जे.एस. राठौड़	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)	संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)	संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते भयावह मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

जयपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9413383665

उदयपुर
दुल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. अध्यक्ष - क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488
जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता मंडित (महिला -मंच)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 15327-16115   दिनांक : 15.08.2012

लोक सभा/राज्य सभा,
नई दिल्ली ।

न्याय की गुहार — पांचवा ज्ञापन
(पदोन्नति में आरक्षण बन्द हो)

विषय :- " अगड़ा बताओ– ईनाम पाओ " प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु ।

महोदय,

(A) विनय पूर्वक निवेदन है कि आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी पा चुके लोगों को भी अविधिक एवं असंवैधानिक रूप से "पिछड़ा" मानकर उन्हें पदोन्नति में भी आरक्षण देने की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए समता आन्दोलन समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2012 से "अगड़ा बताओ– ईनाम पाओ" प्रतियोगिता शुरू की गयी है, जिसमें प्रथम चरण में पूरे देश के सभी लोकसभा एवं राज्य सभा के सदस्यगण भाग ले सकते हैं ।

(B) आप भली भांति जानते है कि पिछले 65 वर्षो मे अनारक्षित वर्ग के करोड़ों युवाओं को आरक्षण के नाम पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जा चुका है, शैक्षणिक संस्थाओं (**MBBS, B.Tech** आदि) में प्रवेश से वंचित किया जा चुका है । इसके अलावा अनारक्षित वर्ग द्वारा राज्यों एवं केन्द्र सरकारों को दिये गये विभिन्न करों (**Taxes**) के राजस्व में से अरबों/खरबों रुपये अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पिछड़े लोगों को अगड़ा बनाने की विभिन्न योजनाओं पर खर्च किये जा चुके हैं । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता बताना है जो राज्य की ओर से घोषित रूप से "अगड़ा" बन गया हो :-

1. ऐसे घोषित "अगड़े" व्यक्ति को समता आन्दोलन समिति द्वारा एक सुन्दर सा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जावेगा ।
2. ऐसे घोषित "अगड़े" व्यक्ति का नाम व पता बताने वाले सांसद महोदय को साफा पहना कर एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया जावेगा ।

(लगातार —— 2)

(C) उपरोक्त पैरा (B) के अनुसार करोड़ों निरपराध एवं मासूम युवाओं को अकारण नौकरी एवं इच्छित शिक्षा से वंचित करने एवं राष्ट्रवादी नागरिकों के त्याग से संग्रहित राजस्व में से अरबों/खरबों रूपये खर्च करने के बावजूद भी यदि आपको अनुसूचित जाति/जनजाति का एक भी व्यक्ति घोषित रूप से "अगड़ा" बना हुआ नहीं मिले तो क्या आप इस गम्भीर मुद्दे पर संसद में परिणामोत्पादक बहस करवायेंगे ? क्या आप पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को रूकवाने का प्रयास करेंगे ? ऐसा नहीं करने पर क्या आप अपने आपको या अपने राष्ट्रवादी मतदाताओं को कोई जवाब दे पायेंगे ?

आपके प्रतिउत्तर एवं प्रतिक्रिया की हम एक माह तक प्रतीक्षा करेंगे ।

सादर,

भवदीय,

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे देशभक्त पूर्व प्र0 पं0 जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र के अनुसार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-
योगेन्द्र राठौड़
मो. 9166494225
एन. के. झामड़
मो. 9414008416
कैप्टन गुरविन्दर सिंह
मो. 9314142509
हेमराज गोयल
मो. 9460926850
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447
अजय चतुर्वेदी
मो. 9413385665
दुल्हा सिंह चूण्डावत, एडवोकेट
मो. 9571875488
जे.एस. राजावत
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 16117-16905 दिनांक : 16.08.2012

लोक सभा / राज्य सभा,
नई दिल्ली।

न्याय की गुहार - छठा ज्ञापन
(पदोन्नति में आरक्षण बन्द हो)

विषय :- " पदोन्नति में आरक्षण " समानता के मूल अधिकार का मजाक है। कृपया इसे तत्काल बन्द करावें।

महोदय,

विनय पूर्वक निवेदन है कि आप यह भली भांति जानते है कि पदोन्नति में आरक्षण संविधान प्रदत समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है, मजाक है, क्योंकि :-

1. यह प्रावधान हमारे राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था वरन् 1995 में कुछ जातिवादी राजनेताओं के दबाव में आकर, वोटों की राजनीति से प्रेरित होकर तथा सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले को प्रभाव शून्य करने के दुराशय से देश के राष्ट्रवादी नेताओं की समतावादी सोच का निरादर करते हुये 77वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
2. जातिगत दबावों के आगे समर्पण करते हुये 81वें, 82वें एवं 85वें संविधान संशोधन द्वारा भी समानता के मूल अधिकार को पुनः विरूपित किया गया है।
3. पदोन्नति में आरक्षण :-
   - (a) सम्पन्न आरक्षितों द्वारा वास्तविक दलितों व पिछड़ों के शोषण का माध्यम है।
   - (b) देश में बढ़ते जा रहे नक्सलवाद का एक प्रमुख कारण है।
   - (c) देश और राज्य प्रशासन में बढ़ते जा रहे जातिगत वैमनस्य का एक मात्र कारण है।
   - (d) देश को जातीय संघर्ष की ओर धकेलने वाला है।
   - (e) राष्ट्रवादी, न्यायप्रिय व समतावादी नागरिकों के साथ घोर अन्याय है।
   - (f) देश के विभिन्न न्यायालयों मे लम्बित लाखों विधिक विवादों का जनक है।
   - (g) आरक्षित वर्ग को देश की मुख्यधारा में जुड़ने से रोकने वाला है। ।
   - (h) अनारक्षित वर्ग में राष्ट्रप्रेम की भावना खत्म करने वाला है।
   - (i) योग्य एवं निष्ठावान लोकसेवको की योग्यता व निष्ठा को कुण्ठित करने वाला है।

(लगातार —— 2)

(j) आरक्षित वर्ग को अपनी योग्यता व क्षमता बढ़ाने के विपरीत नाकारा व निकम्मा बने रहने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला है ।

(k) अनारक्षित वर्ग द्वारा वास्तविक पिछड़ों व दलितों के उत्थान के लिए छोड़ी गयी नौकरियों व शैक्षणिक सीटों का लाभ उन तक पहुंचाने से रोकने वाला है ।

(l) आरक्षित वर्ग में ही वास्तविक पिछड़ों व दलितों का शोषण करने वाला एक सम्पन्न आरक्षित वर्ग बनाता जा रहा है ।

(m) देश की विघटनकारी जातिवादी व्यवस्था की जहरीली जड़े मजबूत करने वाला है ।

(n) देश की घिनौनी जातिवादी राजनीति का एक मुख्य कारक है ।

(o) किसी भी सभ्य राष्ट्र के माथे पर कलंक है ।

(p) देश के वास्तविक दलितों एवं पिछड़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ा बनाये रखने की साजिश है ।

(q) न्याय व्यवस्था को जातिगत दबावों के आगे कर्तव्यहीन बनाने वाला है ।

(r) किसी भी देश की अस्मिता व अस्तित्व के लिए अति आवश्यक मूल्यों एवं मानदण्डों को पूर्णतः नष्ट करने वाला है ।

4. आप यह भी जानते है कि कुछ जातिगत राजनेताओं के दबाव में आकर केन्द्र सरकार "पदोन्नति में आरक्षण के अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक प्रावधान" के लिए पुनः संविधान संशोधन विधेयक लाने की कुचेष्टा कर रही है ।

आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस अन्यायकारी संविधान संशोधन को रुकवाकर अपने प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व से पूरे देश को गौरवान्वित करने की कृपा करें ।

सादर,

भवदीय,

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिलर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन	माननीय श्री अमिताभ गुप्ता	माननीय श्री जे.एस. राठौड़	माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)	संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)	संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज पं0 जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झानक
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(राजकीय उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
पुष्का सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. अधिशासक- अखिल भारतीय संघ)
मो. 9571875488

जे.एस. राठावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक | दिनांक : 17.08.2012

लोक सभा/राज्य सभा,
नई दिल्ली ।

न्याय की गुहार – सातवां ज्ञापन
(पदोन्नति में आरक्षण बन्द हो)

विषय :- " पदोन्नति में आरक्षण " हेतु प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के समर्थक सांसदों/राजनीतिक दलों से प्रार्थना ।

मान्यवर,

विनय पूर्वक निवेदन है कि दिनांक 11.08.2012 से दिनांक 16.08.2012 तक आपको प्रतिदिन क्रमांगत भेजे गये ज्ञापनों से पूरी तरह से अवगत करवाया जा चुका है कि "पदोन्नति में आरक्षण" अन्यायकारी, अविधिक एवं असंवैधानिक ही नहीं पूरे देश को बिखेर देने वाला है तथा वास्तविक दलितों को हमेशा पिछड़ा बनाये रखने की साजिश है । यह जातिवादी सम्पन्न आरक्षित वर्ग के समक्ष राष्ट्रवादी राजनेताओं के दयनीय समर्पण के कारण ही चल रहा है ।

हम इस पत्र के माध्यम से आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए सूचित करना चाहते है कि यदि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रस्तावित अन्यायकारी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो इस देश के 2.5 करोड़ से अधिक अनारक्षित लोक सेवकों के माध्यम से व्यापक जनजागरण अभियान चलाकर आगामी एक वर्ष के अन्दर-अन्दर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से एक लाख एवं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से 20000 संकल्प पत्र भरवाये जायेंगे । संकल्प पत्र का प्रारुप संलग्न है ।

हमारे संकल्प की दृढ़ता का विश्वास आपको आगामी दिनांक 21.08.2012 की सर्वदलीय बैठक से पहले दिलवाने का प्रयास रहेगा । पुनः आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हुये सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा में,

सादर अभिवादन सहित,

भवदीय

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

संलग्न :- संकल्प पत्र का प्रारुप

हर इन्सान एक समान

जय समता

एक राष्ट्र एक जान

समता आन्दोलन समिति, नई दिल्ली

www.samtaandolan.co.in

संकल्प पत्र

मैं ________________ सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री ________________ पूरा पता ________________ मोबाइल नम्बर ________________ ईश्वर/अल्लाह/गुरूनानक देव/प्रभु ईशु एवं अपने ईष्ट को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता/लेती हूँ कि पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था चालू रखने के लिए यदि संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो :–

1. जो भी सांसद ऐसे अन्यायपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक का किसी भी प्रकार समर्थन करेगा तो उन्हें अगले लोकसभा या विधान सभा चुनावों में अपने परिवार सहित वोट नहीं देंगे ।
2. केन्द्र में जिस राजनैतिक पार्टी के शासनकाल में ऐसा संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है उस राजनैतिक पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को अगले लोकसभा या विधान सभा के चुनावों में अपने परिवार सहित वोट नहीं देंगे ।

ईश्वर/अल्लाह/गुरूनानक देव/प्रभु ईशु एवं मेरे ईष्ट देव यह संकल्प निभाने में मेरी मदद करें ।

हस्ताक्षर

____

पुरा नाम________________

दिनांक : ________________

पता: ________________

____

FIRST SCHEDULE

10544 (See rule 161) Dt. 29-05-12

Form of Petition

To

Through :- Secretary General,
Lok Sabha Sachivalaya,
New Delhi

Lok Sabha

The humble petition of

(Mr. Ram Niranjang Gaur S/o Shri Gauri Shankar Ji Gaur, Age 50 years, R/o III/88, Gandhi Nagar, Jaipur-302015, General Secretary, Samta Andolan Samiti, postal address 68, Bhartendu Nagar, Khatipura, Jaipur)

sheweth

(Petitioner is filing the present petition for the purpose redressal of his grievance that Members of Parliament cannot bring amendment in the Constitution of India without the prior permission of the citizens of India (their respective voters), particularly when Hon'ble Supreme Court had protected their fundamental rights.)

and accordingly your petitioner(s) pray that:

(1. It is therefore most respectfully and humbly requested that Members of Parliament shall be restrained to make any constitutional amendment w.r.t. 'Reservation in Promotion', as no mandate has been taken from the People of India, in terms of election manifesto.

2. It is further prayed that MPs' shall not be given any right to make any Constitutional Amendment unless they seek clear mandate on the proposed amendments in their election manifesto.

1

3. It is further prayed that all the MPs' shall compulsorily disclose their views before the Parliament on the proposed constitutional amendment, there shall be no party whip and further there shall be no secret polling, in order to have actual voice of people

4. It is further prayed that if MP's act in violation of/ or without the mandate given by their voters in terms of their manifesto than it shall be treated as misconduct, breach of trust and their membership should be terminated and for future they shall be disqualified to contest elections).

and your petitioner(s) as in duty bound will ever pray.

Name of Petitioner	Address	Signature or thumb impression
Ram Niranjan Gaur, General Secretary, Samta Andolan Samiti	68, Bhartendu Nagar, Khatipura, Jaipur	

Counter signature of member presenting.

The humble Petitioner submits most respectfully as under:

1. That Petitioner is filing the present petition for the purpose redressal of his grievance that Members of Parliament cannot bring amendment in the Constitution of India without the prior permission of the citizens of India (their respective voters), particularly when Hon'ble Supreme Court had protected their fundamental rights.

2. The word "democracy" itself – literally meaning "people's rule". Meaning thereby 'People' is sovereign authority. Democracy is "by the people, of the people, for the people" but in present circumstances, it has increasingly become "of the party high command, for the party high command and by the party high command." Too much power gets concentrated in the hands of a few people after elections. With all humility, Petitioner first wish to counter the myth that Parliament is supreme. It is not. The people of this country are superior to Parliament.

3. That in 1947, when the country became independent, there was neither a constitution, nor a Parliament but just the people of India. These people, through the Constituent Assembly, wrote a constitution. The constitution says: ***"We, the people of India, give ourselves this constitution."*** This Constitution then created the Parliament. Therefore, the Constitution of India is superior to Parliament and the people of India are superior to both the Parliament and the Constitution.

4. That in 1950, People of India adopted representative form of democracy. People elect their Member of Parliament for five years and they are supposed to be the "voice of his people" in Parliament. Unfortunately, an elected MP goes by the directions of his party High Command. Under law, he is supposed to follow the orders of his party High Command, else he could lose membership of Parliament. So, when it is said that the Parliament will decide, it is wrong. It is the party High Command of the ruling party that decides which laws would be passed in Parliament.

5. That party High Command never consults people. Decisions could be taken to favor various lobbies on extraneous considerations at the cost of public interest. Time has come to question representative democracy and move towards direct or participatory democracy in some measure. On critical issues like amendment in the Constitution of India, an MP should consult the people of his constituency through Gram Sabhas and Mohalla Sabhas (general body meetings of voters in that village or mohalla) or by way of declaration in the election *manifesto*. Member of Parliament should present the voice of his people in Parliament and not his High Command's wishes.

6. That people of India, elects the Member of Parliament, for legislating and giving coded law (strictly within the frame work of Constitution of India), but this power given to Member of Parliament by the People, does not encompass the amendment in Constitution of India. The election of MPs' is done on the basis of Constitution of India, which is framed by the People of India and it is only after authorization by the People of India to

the Members of Parliament only, they can resolve to make amendment in Constitution of India.

7. That the Hon'ble Supreme Court of India in Keshvananda Bharti v. State of Kerala (1972) had categorically through constitutional bench of 13 judges observed that the basic structure of the Constitution of India cannot be amended. Further, the Hon'ble Supreme Court in Minerva Mills Ltd. Union of India and ors. AIR 1980 SC 1789 and many other judgments observed that equality clause of the Constitution of India, is the basic structure of Constitution of India and the same cannot be amended.

8. That the Hon'ble Supreme Court in the case of M.Nagraj v. Union of India and ors., 2006 8 SCC 212, had observed that Article 16(1) deals with the fundamental rights whereas 16(4A) and (4B) are only enabling provisions. The Supreme Court further held that in matters relating to affirmative action by the State, the rights under Articles 14 and 16 are required to be protected, which can only be done after compulsory adherence to the following principles, which are already explicitly mentioned in the Constitution of India, also:

i) inadequate representation
ii) continuing backwardness
iii) over-all efficiency without which the structure of equality in Article 16 would collapse.

It is further submitted that under the protective umbrella of these constitutional principles only, the Constitutional

validity of the 77th, 81st, 82nd and 85th constitutional amendments was conditionally uphold by the Hon'ble Supreme Court. Any interference with these requirements would be infringement of the fundamental right to equality and would be changing the basic structure of the Constitution of India and which is beyond the amending powers given to the Parliament under Article 368, Constitution of India.

9. That the conditions enumerated by the Hon'ble Supreme Court in M.Nagraj's case are explicit requirements of the substantive equality code of the Constitution of India, which is beyond the powers of amendment available under Article 368, Constitution of India and same cannot be interfered by any Constitutional Amendment.

10. That across the nation benefit of affirmative discrimination has been provided to the reserved class without adhering to the above mentioned principles. To substantiate, the Hon'ble Supreme Court recently in the case of Suraj Bhan Meena v. State of Rajasthan. 2011 (1) SCC 467 and in the recent case of U.P. Power Corporation and ors. had observed that since the State of Rajasthan and State of UP had not conducted study as required by the Constitution of India and enumerated by the Constitutional Bench of the Hon'ble Supreme Court in M. Nagraj v. Union of India and ors., so there action of providing reservation is unconstitutional.

11. That constitutional principles explicitly enumerated by the Hon'ble Supreme Court in M.Nagraj, which are basic structure of the Constitution of India, and if the Parliament intends to

over-reach such principles than it will be against the separation of powers and federal structure of the Republic of India. If such approach is adopted than it will plant the seeds of anarchism in the Country, which is never intended by the people of India when they gave themselves, the Constitution of India.

12. That if the MPs' intend to throttle the fundamental rights of their 75% voters without their specific authorisation, by interfering in conditions/principles (supra), which are part of basic structure of Constitution of India, than it would be breach of trust, with the people of India and a misconduct, violation, breach of duty, breach of faith, breaching their constitutional oath.

13. That Petitioner craves leave to briefly enumerate the ill effects of the provision of 'Reservation in Promotion', they are:

    a. Infringement of Fundamental Right of Equality.
    b. It is conspiracy under pressure of uplifted reserved lobby, to make actual backward always backward.
    c. It has resulted division of administration of all states and nation on caste lines, and under its influence the nation is heading for a caste conflict.
    d. Develops a sense of inequality
    e. Reservation in Promotion instead of ameliorating the caste differences rather it is perpetuating it and resultantly deepening the poisonous roots of casteism.

f. It never allow reserved class to come in main stream of the nation, rather it makes them to live in castes conservatism.

g. Persons who are brought to main stream of nation after public employment and thereafter 'Reservation in Promotion' is a question mark on prudent society.

h. Reservation in Promotion is injustice to law abiding, dedicated citizens and it is violation of their fundamental rights.

i. Reservation in promotion ensures actual backwards to remain backward across the generations, which motivate them for naxalism and other illegal activities.

j. Reservation in Promotion stops from acknowledging the uplifted backwards, as forwards'. It motivates a race of getting a backward tag forever, etc. So, it is evident from the fact that instead of all constitutional provisions and safeguards the population of so-called backwards instead of being decreased, is increasing immensely.

Prayer

1. It is therefore most respectfully and humbly requested that Members of Parliament shall be restrained to make any constitutional amendment w.r.t. 'Reservation in Promotion', as no mandate has been taken from the People of India, in terms of election manifesto.
2. It is further prayed that MPs' shall not be given any right to make any Constitutional Amendment unless

they seek clear mandate on the proposed amendments in their election manifesto.

3. It is further prayed that all the MPs' shall compulsorily disclose their views before the Parliament on the proposed constitutional amendment, there shall be no party whip and further there shall be no secret polling, in order to have actual voice of people
4. It is further prayed that if MP's act in violation of/ or without the mandate given by their voters in terms of their manifesto than it shall be treated as misconduct, breach of trust and their membership should be terminated and for future they shall be disqualified to contest elections.
5. Any other order which your goodself may deem fit.

For SAMTA ANDOLAN SAMITI

Authorized Signatory

(RAM NIRANJAN GAUR)

आरक्षण हटाओ प्रेम बढ़ाओ देश बचाओ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-बी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)	माननीय श्री अमिताभ गुप्ता संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)	माननीय श्री जे.एस. राठौड़ संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)	माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज पं० जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चावाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

धर्मेन्द्र राठौड़
(पूर्व सेवाधिकारी)
मो. 9166494225

एन. के. झामब
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

कैप्टन गुरविन्दर सिंह
मो. 9314142509

हेमराज गोयल
मो. 9460926850

प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक दिनांक : 11.06.2012

श्रीमान ——————
माननीय सांसद
राज्यसभा / लोक सभा,
नई दिल्ली ।

विषय:- पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में कोई भी सम्भावित संशोधन रोकने की याचिका ।

महोदय,

हमारे विचार में आप देश के एक प्रखर राष्ट्रवादी सांसद हैं। आप यह भली भांति जानते हैं कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान जहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को सभी के समकक्ष लाने का प्रयास करते हैं, वहीं अनुच्छेद 16(4)(A) के अधीन पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण वास्तविक पिछड़ों को हमेशा पिछड़ा बनाये रखने वाला प्रावधान है, नौकरी पाकर सम्भ्रान्त हो चुके आरक्षित वर्ग द्वारा स्वयं को अवैधिक रूप से पिछड़ा बताकर वास्तविक पिछड़ों के लिये चल रही सरकारी योजनाओं के लाभ को ऊपर ही ऊपर ही हड़पते रहने की साजिश है, देश एवं राज्यों के प्रशासन तंत्र को कुण्ठा एवं वैमनस्य फैलाकर जातिगत आधार पर बिखेरने वाला है, देश को जातिगत संघर्ष की ओर धकेलने वाला है, अनारक्षितों के मूल अधिकारों का हनन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक असभ्य राष्ट्र के रूप में पेश करने वाला है।

माननीय राजस्थान / उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों में भी पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था को भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के विरुद्ध बतलाया गया है । इस क्रम में जातिवादी संकीर्ण सोच रखने वाले कुछ सांसदों/पार्टियों द्वारा राष्ट्रवादी सोच के सांसदों/पार्टियों को दबाव में लेकर संविधान में असंवैधानिक संशोधन करवाकर पूरे देश एवं राष्ट्रवादी मतदाताओं को जातीय आधार पर अपमानित करके सद्भाव, समरसता व न्याय व्यवस्था को खण्ड-खण्ड करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है । हमारे द्वारा, ऐसी विकृत स्थिति से देश को बचाने के लिए राज्य सभा एवं लोकसभा की याचिका समितियों के समक्ष क्रमश: राज्य सभा नियम 139 एवं लोकसभा नियम 161 के अधीन निम्न बिन्दुओं पर याचिकाएँ प्रस्तुत की हैं (फोटो प्रति संलग्न है) :-

1. सांसदों को उनके मतदाताओं द्वारा मौजूदा संविधान के फ्रेमवर्क के अन्दर ही देश में विधायन करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, अत: सांसदों को अपने मतदाताओं से पूछे बिना मौजूदा संविधान में ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है जो कि मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के लिए तथा इस देश के भविष्य के लिए नुकसानदायक है ।
2. संसदीय चुनावों में देश का मतदाता देश के सांसदों का चुनाव उनके मैनीफेस्टो में दिये गये अभिवचनों एवं योजनाओं को देखकर ही करता है। अत: जब तक कोई प्रत्याशी/पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में प्रस्तावित संविधान संशोधन की घोषणा करके वोट नहीं मांगता तब तक उसे सांसद बनने के बाद भी संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है ।

(लगातार—— 2)

3. यह सुस्थापित कानून है कि संविधान की मूल संरचना को प्रभावित या परिवर्तित करने का कोई अधिकार सांसदों को नहीं है । पदोन्नति में आरक्षण के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्टतः निर्णय दिया जा चुका है कि जब तक कोई राज्य संविधान में दी गई तीन पूर्व शर्तों को संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित नहीं करता तब तक उसे पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान बनाने के कोई अधिकार नहीं है। फिर भी यदि कोई राज्य ऐसे प्रावधान बनाता है तो वह समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, (संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ होगी) और उसे निरस्त कर दिया जावेगा । ऐसी स्थिति में संसद को अनुच्छेद 16(4)(i) के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं है।

4. अनारक्षित मतों से विजयी होकर यदि कोई सांसद अनारक्षित मतदाताओं के विरूद्ध जाकर कोई संविधान संशोधन का प्रयास करते हैं तो यह हमारे साथ विश्वासघात है । ऐसे सांसदों की सदस्यता निरस्त कर दी जानी चाहिये ।

5. अपने चुनावी मैनीफैस्टो में घोषणा किये बिना यदि कोई राजनैतिक पार्टी अनारक्षित मतदाताओं के विरूद्ध जाकर अपने सांसदों को संविधान संशोधन के लिए कोई व्हिप जारी करती है तो यह अविधिक होने के साथ-साथ खुला विश्वासघात है । ऐसी पार्टियों की मान्यता निरस्त कर दी जानी चाहिये ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी :-

(a) संलग्न याचिका को अपनी अभिशंषा सहित राज्यसभा/लोकसभा की याचिका समिति को भिजवाने की कृपा करें ।

(b) हमारे राज्यसभा/लोकसभा की याचिका समिति को प्रस्तुत की गयी संलग्न याचिका पर तत्काल निर्णय करवाने की कृपा करें ।

(c) संलग्न याचिका के बिन्दुओं सहित आप अपनी तरफ से भी याचिका समिति के समक्ष निवेदनानुसार याचिका लगाकर अनुग्रहित करें ।

(d) आपके कुछेक साथी सांसद जो जातिगत राजनीति करने पर आमादा है उन्हें समझाएँ कि पदोन्नति में जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है, वास्तविक पिछड़ों के साथ विश्वासघात है और अनारक्षित वर्ग के साथ घोर अन्याय है ।

आपके सकारात्मक सहयोग की उम्मीद में,

आपका शुभाकांक्षी

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष

संलग्न :- याचिका की प्रति

LOK SABHA SECRETARIAT

COMMITTEE ON PETITIONS BRANCH

Telegrams : LOKSABHA, NEW DELHI
FAX : 23010758
PARLIAMENT HOUSE ANNEXE
NEW DELHI-110001

No.13/CPB/2012 27 July, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Representation from Shri Ram Niranjan Gaur regarding provision for not bringing / proposing any Constitutional amendment without prior consent of their respective electorates.

.....

The undersigned is directed to forward herewith a representation (in original) received from Shri Ram Niranjan Gaur, General Secretary, Samta Andolan Samiti, Jaipur on the above cited subject for taking necessary action as the Ministry may deem fit in the matter under intimation directly to the petitioner.

Encl: As above.

(MD. AFTAB ALAM)
DEPUTY SECRETARY

The Ministry of Law & Justice,
(Legislative Department)
(Shri V. K. Bhasin – Secretary)
Government of India,
4th Floor, Shastri Bhawan, A – Wing,
New Delhi – 110 001

No. 13/CPB/2012 **27 July, 2012**

Copy for information to Shri Shri Ram Niranjan Gaur, General Secretary, Samta Andolan Samiti, 68, Bhartendu Nagar, Khatipura, Jaipur. Kindly address all future correspondence to the Ministry mentioned above.

DEUTY SECRETARY

हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

राष्ट्रीय कार्यालय : सी-28, निशान्त पार्क, ककरोला मोड़, मेट्रो पिल्लर नं. 800 के पास, द्वारिका, नई-दिल्ली

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अमिताभ गुप्ता संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक) | माननीय श्री जे.एस. राठौड़ संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू "जातिगत आरक्षण से राष्ट्र पतन मूर्खता ही नहीं, विनाशकारी है।" (27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में सम्भवतः)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चावला
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-
जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225
अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9414008416
बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायालय)
मो. 9314142509
भरतपुर
हेम राज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850
जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447
कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशासी अभियन्ता)
मो. 9413385665
उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488
जे.एस. राणावत
संरक्षक : समता मंदिर (गलिका-भव)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक दिनांक : 16.08.2012

श्रीमान खुर्शीद अहमद साहब
माननीय विधि मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय :- पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में मिलने का समय देने बाबत।

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि हमारी संस्था द्वारा लोक सभा एवं राज्य सभा की याचिका समिति के समक्ष याचिका लगाकर कुछ विधिक एवं संवैधानिक प्रश्न उठाकर प्रार्थना की गयी थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं करने के सम्बन्ध में आये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद संसद को इस सम्बन्ध में संविधान में कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त याचिकाओं में से लोक सभा ने अपने पत्र क्रमांक 13/CPB/2012 दिनांक 27.07.2012 के जरिये हमारी याचिका कानून एवं न्याय मंत्रालय (संसदीय कार्य विभाग) को भेजकर हमें वहीं सम्पर्क करने को निर्देशित किया है।

इस क्रम में हमारा पांच सदस्यीय शिष्टमण्डल एक वरिष्ठ विधिवेत्ता के साथ आपके समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाना चाहते है। कृपया आपके समक्ष उपस्थित होने का समय शीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें, हम आपके आभारी रहेंगे।

सादर,

भवदीय

(पाराशर नारायण शर्मा)
अध्यक्ष